

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग	नाम अधिवक्ता
1.	3076 / 2023	रूपन सिंह जाट	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय, बूंदी। 4. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, तालेड़ा जिला बूंदी। 	श्री उम्मेद सिंह तंवर
2.	3139 / 2023	रामस्वरूप	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय, झुंझुनू। 4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गादली कोठी, झुंझुनू। 5. निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर। 	श्री उम्मेद सिंह तंवर
3.	3140 / 2023	करण सिंह	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर। 2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय, झुंझुनू। 4. पीईओ एवं प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, केहरपुरा कलां, जिला झुंझुनू। 	श्री उम्मेद सिंह तंवर
4.	3408 / 2021	नन्द लाल	<ol style="list-style-type: none"> 1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. वित्त सलाहकार, कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर। 4. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक-प्रथम शिक्षा, सीकर। 5. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, चूरु संभाग, चूरु। 6. प्रधानाध्यापक, राजकीय मा.विद्यालय, भगतपुरा, दातारामगढ, जिला सीकर। 	श्री संदीप कलवानिया
5.	1943 / 2023	सांवरमल जांगिड	<ol style="list-style-type: none"> 1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, सीकर। 4. प्रधानाचार्य, राजकीय उ.मा.विद्यालय, रलावता, ब्लॉक खण्डेला, जिला सीकर। 	श्री नितेश कुमार गर्ग
6.	1944 / 2023	दिनेश कुमार झालानी	<ol style="list-style-type: none"> 1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, जिला टोंक। 4. प्रधानाचार्य, राजकीय उ.मा.विद्यालय, कादिला, मालपुरा, टोंक। 	श्री नितेश कुमार गर्ग

7.	1945/2023	विनोद कुमार पारीक	<ol style="list-style-type: none"> राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर। जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, जिला भीलवाडा। प्रधानाचार्य, राजकीय उ.मा.विद्यालय, उडलियास, ब्लॉक कोटडी, जिला भीलवाडा। 	श्री नितेश कुमार गर्ग
8.	1946/2023	छीतरमल वर्मा	<ol style="list-style-type: none"> राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर। जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, जिला अजमेर। प्रधानाचार्य, राजकीय उ.मा.विद्यालय, गोविन्दपुरा, ब्लॉक खण्डेला, जिला सीकर। 	श्री नितेश कुमार गर्ग
9.	1948/2023	भगवान सहाय शर्मा	<ol style="list-style-type: none"> राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर। जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, जिला टोंक। प्रधानाचार्य, राजकीय उ.मा.विद्यालय, अविका नगर, जिला टोंक। 	श्री नितेश कुमार गर्ग
10.	1950/2023	शिवचरण	<ol style="list-style-type: none"> राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर। उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, अजमेर। जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, जिला अजमेर। प्रधानाचार्य, एसएमसीएस राजकीय मा. विद्यालय, Meershahali, अजमेर। 	श्री नितेश कुमार गर्ग
11.	1955/2023	अशोक कुमार वर्मा	<ol style="list-style-type: none"> राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर। जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, जिला करौली। प्रधानाचार्य, राजकीय उ.मा.विद्यालय, अस्थल, ग्राम पंचायत गुनेसरा, जिला करौली। 	श्री नितेश कुमार गर्ग

आदेश की दिनांक

: 05.12.2023

उपस्थित –

प्रत्यर्था विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :- अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)

लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

उपरोक्त अपीलों में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपीलों में चुनौती का आधार एवं तथ्यात्मक स्थिति समान होने से, न्यायहित में अपील संख्या 3076/2023 रूपन सिंह जाट की अपील को अग्रग अपील मानकर उसके तथ्य लेते हुए, उक्त टेबिल में अंकित अपीलों को एक ही आदेश से निस्तारित किया जा रहा है।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा इस अपील में यह तथ्य अंकित किये गये हैं कि अपीलार्थी की नियुक्ति चयन प्रक्रिया अपनाकर प्रयोगशाला सहायक के पद पर दिसम्बर 1991 में की गई थी। जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 01.07.1992 को कार्यग्रहण किया था। उसके पश्चात् आदेश अक्टूबर 1997 के द्वारा अपीलार्थी का समायोजन अध्यापक ग्रेड—तृतीय के पद पर किया गया। तब से अपीलार्थी बिना किसी शिकायत के उक्त पद पर कार्यरत् है। राज्य सरकार ने आदेश दिनांक 05.07.2013 को राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2008 के अन्तर्गत ग्रेड—पे परिवर्तित करते हुए अध्यापक ग्रेड—तृतीय की एन्ट्री पे—स्केल 3600/— की गई तथा 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर प्रथम एसीपी 4200/— ग्रेड पे निर्धारित की गई तथा 18 वर्षीय एसीपी 4800/— ग्रेड पे निर्धारित की गई। प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को 9 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ आदेश दिनांक 24.01.2004 के द्वारा दिनांक 01.07.2002 से दिया गया तथा 18 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ आदेश दिनांक 19.10.2010 के द्वारा दिनांक 01.07.2010 से दिया गया तथा अपीलार्थी को पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2008 के अन्तर्गत वर्ष 2013 में ग्रेड पे 4800/— में फिक्सेशन किया गया। अपीलार्थी को 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 01.07.2019 से देय है, जिसके बाबत् अपीलार्थी ने दिनांक 20.04.2023 को आवेदन कर प्रत्यर्थीगण से 27 वर्षीय सेवा पूर्ण होने पर ग्रेड पे 5400/— में फिक्सेशन कर परिलाभ देने का निवेदन किया। किन्तु प्रत्यर्थी सं. 3 ने अपीलार्थी के उक्त आवेदन पर आक्षेप लगाते हुए अपीलार्थी को उक्त लाभ से वंचित कर दिया और अपीलार्थी को 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ आज तक नहीं दिया गया, जिसके विरुद्ध अपीलार्थी ने दिनांक 29.04.2023 को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर 27 वर्षीय चयनित वेतनमान पर 5400/— ग्रेड पे का लाभ दिये जाने का निवेदन किया। किन्तु प्रत्यर्थीगण ने उक्त लाभ आज तक नहीं दिया है। राज्य सरकार ने दिनांक 23.10.1997 को यह आदेश निकाले कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 24.07.1997 एवं 27.08.1997 द्वारा अधिशेष प्रयोगशाला सहायकों को तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापक के पद पर समायोजन करने का निर्णय लिया गया है, उक्त आदेशों की पालना में अपीलार्थी को जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा छात्र संस्थायें के आदेश के द्वारा अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर

समायोजित करते हुये अपीलार्थी का पदस्थापन अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर किया गया। जिसकी पालना में अपीलार्थी ने अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर कार्यग्रहण किया। उसके पश्चात् अपीलार्थी को आदेश दिनांक 24.01.2004 के द्वारा दिनांक 01.07.2002 से 9 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया। उसके पश्चात् आदेश दिनांक 19.10.2010 के आदेश द्वारा दिनांक 01.07.2010 से 18 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थागण को 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ देने हेतु आवेदन किया। किन्तु प्रत्यर्था सं. 3 ने अपीलार्थी के आवेदन पर आपत्ति कर अपीलार्थी को 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ नहीं दिया। अपीलार्थी को तत्कालीन चयनित वेतनमान नियमों के अनुसार 9 वर्षीय चयनित वेतनमान दिनांक 24.01.2004 के आदेश द्वारा दिनांक 01.07.2002 से दिया गया। अपीलार्थी को प्रथम चयनित वेतनमान देने के कारण अपीलार्थी का वेतन उच्च पद के अनुसार फिक्सेशन किया गया तथा अपीलार्थी को प्रत्यर्था विभाग के आदेशों की पालना में दिनांक 01.07.2010 से 18 वर्षीय चयनित वेतनमान दिया गया। अपीलार्थी का 27 वर्षीय चयनित वेतनमान दिनांक 01.07.2019 से बकाया है। जिसका फिक्सेशन रोड पे 5400/- में किया जाना है। किन्तु प्रत्यर्थागण ने अपीलार्थी को 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ आज दिन तक नहीं दिया है। अपीलार्थी की नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर हुई थी तथा तत्कालीन नियमों के अनुसार तथा पे स्केल नियमों के अनुसार प्रयोगशाला सहायक व अध्यापक ग्रेड तृतीय की वेतन श्रृंखला समान थी, इसीलिये अपीलार्थी को अध्यापक ग्रेड तृतीय पर मर्ज किया गया तथा अध्यापक ग्रेड तृतीय ही माना गया तथा समान वेतन श्रृंखला होने के कारण चयनित वेतनमान भी जो अध्यापक ग्रेड तृतीय को मिलते थे, उसी के अनुसार अपीलार्थी का फिक्सेशन किया गया। राज्य सरकार ने दिनांक 05.07.2013 को राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम 2008 के अन्तर्गत परिवर्तित ग्रेड पे के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण जारी किया गया, जिसमें राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2008 के अनुसार जिन पदों का रनिंग पे बैण्ड एवं ग्रेड पे परिवर्तित हो गया है, उन पद धारकों को जिनकी पदोन्नति नहीं हुई है, उन्हें परिवर्तित रनिंग पे बैण्ड एवं ग्रेड पे के आधार पर एसीपी दिनांक 01.07.2013 से संशोधित की गई। किन्तु आज दिनांक तक अपीलार्थी को उक्त नियमों के अनुसार 27 वर्षीय चयनित वेतनमान पर ग्रेड पे 5400/- में फिक्सेशन नहीं किया गया। जो अपने आप में अवैध व अनुचित है तथा मनमाना व पक्षपातीपूर्ण है। उक्त आधार पर भी अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 01.07.2013 के अनुसरण में अपीलार्थी का पद अध्यापक ग्रेड तृतीय होने के कारण तथा अध्यापक ग्रेड तृतीय

की पे ग्रेड 3600 होने के कारण अपीलार्थी को नियमानुसार 9 वर्ष पर ग्रेड पे 4200 तथा 18 वर्ष पर ग्रेड 4800 व 27 वर्षीय एसीपी पर 5400/- ग्रेड पे दिया जाना चाहिए था। किन्तु प्रत्यर्थागण ने उक्त आदेशानुसार अपीलार्थी के 27 वर्षीय चयनित वेतनमान के आवेदन करने पर अपीलार्थी को 27 वर्षीय चयनित वेतनमान में फिक्सेशन नहीं किया है। उनका आगे कथन है कि अपीलार्थी की नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर की गई थी, उस समय प्रयोगशाला सहायक व अध्यापक ग्रेड तृतीय की वेतन श्रृंखला समान थी, इसीलिये अपीलार्थी को नौ वर्षीय चयनित वेतनमान अपीलार्थी की योग्यता रखने के कारण वरिष्ठ अध्यापक के पद की वेतन श्रृंखला 5000-8000 में फिक्स किया गया तथा अपीलार्थी को 18 वर्षीय चयनित वेतनमान 9300-34800 ग्रेड पे 4800/- में फिक्स किया जाना चाहिए था। पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2008 जो 01.01.2006 से प्रभावी हैं, उक्त नियमों में प्रथम नियुक्ति पद से वेतन की गणना करते हुये कर्मचारी के वेतन को रिवाईज करने के निर्देश दिये गये। किन्तु अपीलार्थी का पूर्व में जारी फिक्सेशन आदेश राज्य सरकार के आदेश दिनांक 05.07.2013 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार आज दिनांक तक नहीं किया गया है। जो राज्य सरकार के उक्त आदेशों के विपरीत है तथा अवैध व अनुचित है।

उनका आगे कथन है कि प्रत्यर्था विभाग द्वारा अपीलार्थी को जान बूझकर हैरान परेशान किया जा रहा है तथा अपीलार्थी को अध्यापक ग्रेड तृतीय पद की ग्रेड पे नहीं दी जा रही है, जबकि पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2008 में जो प्रयोगशाला सहायक व अध्यापक ग्रेड तृतीय में अन्तर किया गया है, वह अपीलार्थी पर लागू नहीं होता है। अपीलार्थी तत्कालीन नियमों के अनुसार पूर्व से अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर कार्यरत है, इसलिये अपीलार्थी अध्यापक ग्रेड तृतीय की एन्टी पे स्केल 3600 के आधार पर ग्रेड पे 9 वर्ष व 18 वर्ष व 27 वर्ष पर क्रमशः 4200, 4800 व 5400/- ग्रेड पे प्राप्त करने की अधिकारी है।

उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी ने निम्न प्रकार से प्रार्थना की है:-

(क) अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थागण को निर्देश दिया जावे कि अपीलार्थी दिनांक 05.07.2013 के नोटिफिकेशन के अनुसार 18 वर्ष की सेवा पर दिनांक 01.07.2013 से 4800/- तथा 27 वर्ष की सेवा पर दिनांक 01.07.2019 से ग्रेड पे 5400/- में फिक्सेशन करते हुए अपीलार्थी को 7वें वेतन आयोग का फिक्सेशन करते हुए समस्त एरियर का भुगतान मय 12 प्रतिशत ब्याज सहित प्रत्यर्थागण से अपीलार्थी को दिलाया जावे तथा अपीलार्थी कोई वसूली नहीं की जावे।

(ख) खर्चा अपील दिलाया जावे।

(ग) अन्य सहायता जो माननीय अधिकरण अपीलार्थी के पक्ष में उचित समझे, दिलवाई जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की प्रयोगशाला सहायक के पद पर नियुक्ति हुई थी तथा उसके पश्चात् अपीलार्थी की सीधे ही वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति की गई है इसलिए राज्य सरकार के अधिसूचना दिनांक 05.07.2013 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। इसलिए अपीलार्थी के द्वारा चाहा गया अनुतोष अपीलार्थी को नहीं दिया जा सकता है। अतः अपीलार्थी की अपील में जिस प्रकार से प्रार्थना की गई है वह स्वीकार करने योग्य नहीं है। अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का यह भी कथन है कि आदेश दिनांक 05.07.2013 के बिंदु संख्या 5 में यह प्रावधान किया गया है कि जिन कर्मचारियों की प्रथम नियुक्ति के पश्चात् दिनांक 01.07.2013 से पूर्व पदोन्नति हो चुकी है उन्हें पदोन्नति पद पर प्राप्त परिवर्तित ग्रेड पे के आधार पर ए.सी.पी. देय होगी। उदाहरणार्थ यदि किसी कनिष्ठ लिपिक की वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति हो गई है तथा दिनांक 01.07.2013 से पूर्व वरिष्ठ लिपिक के पद की ग्रेड पे 2400/- प्राप्त कर रहा था। उन्हें 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर ए.सी.पी. नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत ठीक उच्चतर ग्रेड पे 2800 अनुज्ञेय थी। अपीलार्थी के प्रकरण में भी अपीलार्थी की पदोन्नति दिनांक 01.07.2013 से पूर्व वर्ष 2006-07 की रिक्तियों के विरुद्ध वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति हो चुकी थी तथा उक्त प्रावधानों के अनुसार वरिष्ठ अध्यापक की ग्रेड पे 4200/- होती है तथा अपीलार्थी को 18 वर्ष की सेवा पर अगली ग्रेड पे 4800/- अपीलार्थी को देय होती है तथा 27 वर्ष की सेवा पर अगली ग्रेड पे 5400/- होती है, उसी के अनुसार पूर्व में अपीलार्थी का फिक्सेशन किया गया था, परंतु राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 05.07.2013 के उदाहरण संख्या 3 में उल्लेखित प्रावधान के विपरीत जाकर आलोच्य आदेश के द्वारा अपीलार्थी की ग्रेड पे को परिवर्तित किया गया है, जो मनमाना व पक्षपातीपूर्ण है तथा अधिकरण ने पूर्व में भी अनेकों अपीलों में कार्मिकों को प्रयोगशाला सहायक से अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर समायोजित अध्यापकों को 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पर ग्रेड पे क्रमशः 4200/-, 4800/- एवं 5400/- दी गई है जबकि अपीलार्थी की पदोन्नति ही वरिष्ठ अध्यापक के पद पर की गई है इसलिए अध्यापक के पद से अपीलार्थी उच्चतर पद पर कार्यरत होने के बावजूद अपीलार्थी को अध्यापक ग्रेड तृतीय से ग्रेड पे 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा

पर आलोच्य आदेश के द्वारा ग्रेड पे 4800/- दी गई है, जो उक्त प्रावधानों के विपरीत है।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 05.07.2013 में उदाहरण संख्या 3 में यह प्रावधान है कि वरिष्ठ अध्यापक पद की ग्रेड पे 3600/- जिससे दिनांक 01.07.2013 से ग्रेड पे 4200/- परिवर्तित की गई है। ऐसे अध्यापकों को पूर्व में 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर ए.सी.पी. प्रथम के रूप में ग्रेड पे 4200/- अनुज्ञेय थी उनकी अब दिनांक 01.07.2013 से पद की परिवर्तित ग्रेड पे 4200/- के आधार पर ए.सी.पी. प्रथम में ग्रेड पे 4800/- अनुज्ञेय होगी तथा उक्त अधिसूचना के बिंदु संख्या 5 में यह प्रावधान किया गया है कि जिन कर्मचारियों की प्रथम नियुक्ति के पश्चात् दिनांक 01.07.2013 से पूर्व पदोन्नति हो चुकी है उन्हें पदोन्नति पद पर प्राप्त परिवर्तित ग्रेड पे के आधार पर ए.सी.पी. देय होगी। अपीलार्थी की पदोन्नति दिनांक 01.07.2013 से पूर्व वर्ष 2006-07 की रिक्तियों के विरुद्ध वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति हो चुकी थी तथा उक्त प्रावधानों के अनुसार वरिष्ठ अध्यापक की ग्रेड पे 4200/- होती है तथा अपीलार्थी को 18 वर्ष की सेवा पर अगली ग्रेड पे 4800/- अपीलार्थी को देय होती है तथा 27 वर्ष की सेवा पर अगली ग्रेड पे 5400/- होती है, उसी के अनुसार पूर्व में अपीलार्थी का फिक्सेशन किया गया था व उचित एवं वैद्य था, परंतु राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 05.07.2013 के उदाहरण संख्या 3 में उल्लेखित प्रावधान के विपरीत जाकर आलोच्य आदेश के द्वारा अपीलार्थी की ग्रेड पे को परिवर्तित किया गया है, जो उचित प्रतील नहीं होता है। वित्त (नियम) विभाग के ज्ञापन दिनांक 05.07.2013 में यह स्पष्ट अंकित है कि दिनांक 01.07.2013 से वरिष्ठ अध्यापक के पद पर नियुक्त ग्रेड पे 4200/- रुपये है। ए.सी.पी. की प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय ग्रेड पे क्रमशः 4200/-, 4800/- एवं 5400/- देय है। यह विभिन्न न्यायिक विनिश्चयों में निर्धारित किया गया है कि एक पद के दो वेतनमान नहीं हो सकते हैं अर्थात् समान पद समान वेतन का सिद्धान्त लागू होता है, जो प्रयोगशाला सहायकों के वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नत हो गये हैं। वे वरिष्ठ अध्यापक पद का चयनित वेतनमान/ए.सी.पी. प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

उपरोक्त समस्त अपीलों में उपरोक्त प्रकार से ग्रेड-पे प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय एसीपी पर क्रमशः 4200, 4800 एवं 5400 के स्थान पर कम की गई है। ऐसे में उपरोक्त समस्त अपीलों में समान बिन्दू नियत है। उपरोक्त समस्त अपीलों के संबंध में उपरोक्तानुसार की गई विवेचना के आधार पर हम यह पाते हैं कि अपीलार्थीगण जो प्रयोगशाला सहायक से वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नत हो गये है, वह 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूरी करने पर एसीपी के लाभ पर ग्रेड पे क्रमशः 4200, 4800, एवं 5400 में फिक्सेशन कराने के अधिकारी हैं और उक्तानुसार सातवें वेतन आयोग के अनुसार भुगतान पाने के अधिकारी है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार उपरोक्त वर्णित समस्त अपीलों स्वीकार की जाती हैं तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थीगण द्वारा 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूरी करने पर एसीपी के लाभ पर ग्रेड पे क्रमशः 4200, 4800, एवं 5400 में फिक्सेशन करते हुए सातवें वेतन आयोग के तहत भुगतान किया जावे।

उक्त निर्देशों की पालना तीन माह की अवधि में की जावे। निर्धारित अवधि में पालना नहीं करने की स्थिति में अपीलार्थी की रोकी गई राशि/वेतन से कटौती की राशि को 6 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान तिथि तक ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

आदेश की मूल प्रति अपील संख्या 3076/2023 में एवं आदेशों की प्रतिलिपि उपर्युक्त टेबिल में अंकित अन्य समस्त अपीलों की पत्रावलियों में संलग्न की जावे।

आदेश आज दिनांक 05.12.2023 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित किया गया।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भण्डारी)
सदस्य (न्यायिक)